प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,लहेरियासराय ।

ज्ञापांक– /लहेरियासराय, दिनांक–

वाहन को किराये पर लेने हेतु सूचना पट के माध्यम से निविदा का आमंत्रण ।

भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के आलोक में इस संस्थान के पी0एस0एम0 विभाग अन्तर्गत अध्यनरत् एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/इन्टनर्स छात्रों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु चिकित्सक शिक्षकों को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याणपुर जिला–समस्तीपुर, सोनकी, गोनौली, पंचोभ एवं शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द, राज हॉस्पीटल आने जाने के लिए एक वर्ष/प्रति माह/प्रति किलोमीटर हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं मेसर्स जय माँ दुर्गे ट्रेवल्स, कंकड़बाग, डिफेन्स कॉलोनी, क्वार्टर नं0 80, पटना के बीच हुये एकरारनामा दिनांक–28/8/2019 (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर अंकित उल्लेखित नियम एवं शर्त्ते तथा स्वीकृत दर अथवा उससे कम दर पर न्यू मॉडल स्कोरपीयों, एस0यू0भी0,इनोभा,मराजो आदि ए0सी0 वाहन किराये पर लेने हेतु इच्छुक निजी/निबंधित फार्म से निम्नलिखित शर्तो पर मुँहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है । किराये की वाहन हेतु नियम एवं शर्त्ते उक्त एकरारनामा मे अंकित शर्त्ते के अतिरिक्त निम्न नियम एवं शर्त्ते मान्य होगा ।

1–नई वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

2–वाहन का बिहार राज्य के अन्तर्गत कामर्शियल सडक निबंधन ही मान्य होगा अथवा वाहन उपलबध कराने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर कमर्शियल सडक निबंधन जमा करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही भुगतान की प्रकियाँ की जायेगी ।

3–निजी/रजिस्टर्ड फार्मो का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4– नियमतः भुगतेय राशि से टी0डी0एस0/आयकर अथवा अन्य वांछित कटौती करने की बाद ही भुगतान की जायेगी ।

5–संतोषप्रद कार्य के आधार पर उक्त अवधि में बढोत्तरी की जा सकती है ।

6–कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने वाले किसी भी समय बिना कारण बताये आपका उक्त एकरारनाम/निविदा/आदेश रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित फार्म/मालिक की होगी ।

7–वाहन का रख–रखाव, खलासी, चालक, ईंधन, मोबिल आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा किया जायेगा

8–समय–समय पर नियमानुसार गाडी का फिटनेट प्रमाण–पत्र लेने की जिम्मेवारी संबंधित वाहन मालिक का होगा । साथ ही वाहन का फिटनेट प्रमाण–पत्र की छाया प्रति पत्र निर्गत के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।

9–स्वीकृत दर में सभी कर आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी राशि देय नहीं होगा ।

10–सुरक्षा राशि के तौर पर 25000/–(पच्चीस हजार रूपये) का किसी भी राष्ट्रीय बैंक से प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय के नाम से भुगतेय बैंक ड्राफट निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

11–स्वीकृत दर पर अगर वाहन मालिक द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो उसकी सिक्युरीटी की राशि जप्त कर ली जायेगी ।

12–निविदा स्वीकृत होने के बाद वित्त विभाग के एकरारनामा के अनुरूप 1000/– (एक हजार रूपये) के बॉण्ड पेपर पर एकरारनामा करना होगा ।

13–वाहन का देखभाल/सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी ।

14–भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली अथवा बिहार सरकार अथवा आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में उक्त वाहन को 1500(पन्द्रह सौ) किलोमीटर से अधिक का चालन संस्थान द्वारा किया जायेगा तो अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का अनुमोदित दर भुगतान किया जायेगा, जिसका आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

15–यदि उपरोक्त नियम एवं शर्त्त मंजूर हो तो उपरोक्त सभी वांछित कागजात के साथ निविदा स्वरूप एक स्पष्ट आवेदन, प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासरसाय के नाम से जिसमें यह अंकित हो कि वे अपने इच्छा से उपरोक्त शर्त्तो के अनुरूप वाहन देना चाहते है का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन सभी अनुल्नकों के साथ सीलबंद लिफाफे में पत्र निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा सीधे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन जमा कर सकते है । उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । कय समिति द्वारा न्यूनतम दर को आधार मानते हुए चयनित निविदादाता को ही अंतिम रूप से चयनित माना जायेगा, इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा । एक से अधिक निविदा/आवेदन में समान दर होने पर कय समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

संल्गनकः–यथाउपरोक्त ।

प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय ।

ज्ञापांक– 172 /लहेरियासराय,दिनाक– 13.1.2020

प्रतिलिपिः–आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिलापदाधिकारी, दरभंगा/ जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, दरभंगा / अधीक्षक,दरभंगा चिकित्सा महाविधालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागाध्यक्ष,पी0एस0एम0 विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेवसाईट– www.darbhangamedicalcollege.com पर देने हेतु ।

प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय ।

13.01.2020

Vivo V17 Pro
48MP AI QUAD CAMERA

Scanned by CamScanner